न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 15/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. चन्द्रपाल उर्फ चौथू पुत्र श्री नारायण लाल जाति बलाई निवासी मगनपुरा(गिगनपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत रिकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 17.03.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.33 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 2.87 हैक्टर तन ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का 1/3 हक हिस्सा है जो वादी के नाम खातेदारी में चौथू पुत्र नारायण बलाई के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम चन्द्रपाल है। वादी के चन्द्रपाल नाम सें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, ग्राम पंचायत बाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है। जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती सें वादी का नाम चन्द्रपाल की जगह चौथू दर्ज हो गया है जो गलत है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी स्वीकार कर वादवर्णित भूमियों में वादी का नाम चौथू पुत्र नारायण के स्थान पर चन्द्रपाल पुत्र नारायण दर्ज किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।
2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें वादपत्र के संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आग्रह किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर चौथू पुत्र नारायण के स्थान पर चन्द्रपाल पुत्र नारायण दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा दावा में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी के साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया। वादी का सही व वास्तविक नाम निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत सामी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में चन्द्रपाल पुत्र नारायण दर्ज है जो सही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में **वादी का दावा बाबत रिकॉर्ड संशोधन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 539 रकबा 1.33 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 2.87 हैक्टर में खातेदार वादी का नाम चौथू पुत्र नारायण के स्थान पर चन्द्रपाल पुत्र नारायण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2020 को खुले **न्यायालय में सुनाया गया।** पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ